



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26300 वर्ष 2026

आकाश शर्मा

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : आदित्य प्रताप मिश्रा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य प्रताप मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शिव दत्त शुक्ला की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- प्रारंभ में ही, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उन्हें आवेदन ज्ञापन के प्रार्थना खंड में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाए।
- उपर्युक्त प्रार्थना की अनुमति है। वह इसे दिन के दौरान कर सकता है।
- यह जमानत याचिका केस क्राइम नंबर 337/2026, धारा 69, 89, 115(2), 351(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन नंदग्राम, जिला गाजियाबाद में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और पीड़िता एक बालिग महिला है और आरोप है कि आवेदक ने शादी के झूठे वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। यह भी बताया गया है कि आवेदक और पीड़िता ने आर्य समाज मंदिर में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, हालांकि, आवेदक ने सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करने से इनकार कर दिया। यह भी बताया गया है कि पीड़िता ने चिकित्सा-कानूनी जांच कराने से इनकार कर दिया है और उसने बीएनएस की धारा 180 और 183 के तहत अपने बयान में कहा है कि आवेदक ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आवेदक ने सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करने से इनकार कर दिया। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक 8.6.2026 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में निवेदन किया जाता है कि यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, आरोपी ने विवाह का झूठा वादा करके पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। पीड़िता बालिग है और आरोपी तथा पीड़िता ने आर्य समाज मंदिर में वैवाहिक संबंध बनाए, हालांकि, आरोपी ने सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने चिकित्सा-कानूनी जांच कराने से इनकार कर दिया है और उसने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत अपने बयान में कहा है कि आरोपी ने विवाह का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने से इनकार कर दिया। आरोपी 8.6.2026 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **आकाश शर्मा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के दो व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

12. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

13. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

14. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया जाता है।

अगस्त 13, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।